2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 252/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/371

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
जितेन्द्रसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—

1.प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित।

:—आदेशः—

दिनांक 22/07/25

प्रार्थी जितेन्द्रसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपुत निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 566/24 क्षेत्रफल 30.7722 हैक्टयर भूमि मे अशुद्व नाम जीतूसिंह पुत्र आम्बसिंह दर्ज है,जबकि वास्तविक नाम जितेन्द्रसिंह है। अतःवादग्रस्त भूमि में जीतूसिंह के स्थान पर जितेन्द्रसिंह शुद्व दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन की जांच रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से करवाए गए। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का अशुद्व नाम जीतूसिंह के स्थान पर जितेन्द्रसिंह दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट दी गई।

हमने प्रार्थी के आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमे पाया कि विवादित आराजी मे प्रार्थी का नाम जीतूसिंह पुत्र आम्बसिंह दर्ज है,जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा—पेनकार्ड प्रति व आधार कार्ड प्रति मे प्रार्थी का नाम जितेन्द्रसिंह अंकन है तथा प्रशासक ग्राम पंचायत मेवानगर द्वारा जारी प्रामण पत्र क्रमांक 384/2025 दिनांक 08.7.2025 मे प्रार्थी का नाम जितेन्द्रसिंह दुरूस्त किए जाने की सिफारिश की गई है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम जितेन्द्रसिंह दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मेवानगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 566/24 क्षेत्रफल 30.7722 हैक्टयर भूमि मे अशुद्व नाम जीतूसिंह पुत्र आम्बसिंह के स्थान पर सही नाम जितेन्द्रसिंह पुत्र आम्बसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 22/07/25
(S.D.O.) बालोतरा